रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1972/पौष 25, 1893
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 1972/FAUSA, 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th January 1972

No. DRA BACK/PN-4/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/71-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971, with immediate effect :—

Sub-serial No. 1002 and the entries relating thereto shall be omitted.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-4/72.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित

अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना स० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होगा :—

उप-क्रमांक सं० 1002 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियो को निकाल दिया जायेगा ।

No. DRAWBACK/PN-5/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No.52/F.No. 602/2/71-DPK, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 with immediate effect:—

1. Sub-serial No. 3848 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3848	Metal containers all sorts (other than those made of aluminium) ordinarily intended for packaging of goods for sale, (including casks, drums, cans, boxes, gas cylinders and pressure containers) filled in with export goods (but excluding open top sanitary, cans and tin containers of 11·34 Kg. capacity used for export of cashew kernels).	(a) Whole of the duty paid under item 46 of the First Schedule to the Central Excises it Salt Act, 1944, plus (b) The drawback at the appropriate rate if any in respect of the material of which the container is made.

Provided that :—

(i) The drawbak at the rate specified in item (a) will be granted where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs of having paid duty on the metal containers.

(ii) Where the exporter has not availed of the procedure under rule 12 or rule 191-A of the Central Excise Rules, 1944, the drawback at the rate specified at items (a) and (b) shall apply in toto and where the exporter has availed of the procedure under the said rules the rate of drawback at the rates specified in item (b) alone shall apply.

2. For Sub-serial No. 3843 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

Sub-Serial number	Description of goods	Rate of drawback
3843	Steel Drums When filled in with Asphalt.	Rs. 700/- per Tonne.

3. For Sub-Serial No. 3826 and the entries relating thereto, the following will be substituted :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3826	Mild steel paper pins and clips.	
	(A) Copper coated—	
	(1) Pins sold in sheets of 100 pins each.	
	(i) 20 mm size	Rs. 25/- per 100 gross sheets.
	(ii) 22 mm size	Rs. 27/- -do-
	(iii) 26 mm size	Rs. 39/- -do-
	(2) Pins sold by weight	Rs. 25/- per Quintal.
	(3) Clips	
	(i) 26 mm to 29 mm size	Rs. 7·50 per 1 lakh clips.
	(ii) 30 mm to 35 mm size	Rs. 17/- per 1 lakh Clips.
	(B) Other than copper coated—	
	(1) Pins sold in sheets of 100 pins each.	
	(i) 20 mm size	Rs. 13·50 per 100 gross sheets
	(ii) 22 mm size	Rs. 14·50 -do-
	(iii) 26 mm size	Rs. 20·90 -do-
	(2) Pins sold by weight]	Rs. 13·65 per quintal
	(3) Clips	
	(i) 30 mm to 35 mm size	Rs. 9·35 per 1 lakh Clips.
	(ii) 26 mm to 29 mm size	Rs. 4·00 per 1 lakh Clips.

4. For sub-serial No. 3849 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:

Sub Sl. No.	Description of goods	Rate of Drawback
3849	Sanitary and Bath room water fittings :	
	(i) Chromium plated made of gun metal	Rs. 4/- per Kg.
	(ii) Chromium plated made of brass	Rs. 2·85 per Kg.

सं० प्रति-प्रदायगी/पी० एन०/5/72.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (अगस्त, 1971 की अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—डी० बी० के०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 को सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०—1 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है जो तत्काल लागू होंग :—

1. उप-क्रम सं० 3848 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
3848	सभी किस्मों के धातु के डिब्बे (एल्यूमीनियम से निर्मित डिब्बों से भिन्न) जो साधारणतया बिक्री के लिये वस्तुओं को पैक करने के लिये आशयित होते हैं (जिसमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से भरे हुये पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से, गैस सिलिन्डर तथा पैशर डिब्बे शामिल हैं लेकिन जिसमें ऊपर से खुले हुये सफाई के डिब्बे (सेनिटरी कैन्स) तथा काजू की गिरी के निर्यात किये जाने में उपयोग किये जाने वाले 11.35 किलो ग्राम की क्षमता के टीन के डिब्बे सम्मिलित नहीं हैं) ।	(क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अधीन अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क, तथा (ख) जिस वस्तु का डिब्बा बनाया गया है उस पर समुचित दर पर प्रति अदायगी, यदि कोई हो।

बशर्ते कि —

(i) मद (क) में उल्लिखित प्रतिअदायगी की दर उन मामलों में स्वीकार की जायेगी जिसमें निर्यात-कर्ता धातु के डिब्बों पर शुल्क अदा किये जाने का सन्तोषजनक प्रमाण सीमा-शुल्क के सहायक समाहर्ता को देता है ।

(ii) जहां निर्यात-कर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191-क के अधीन कार्य-विधि का लाभ नहीं उठाया है, मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रति अदायगी की दर पूर्ण रूप से लागू होगी तथा जहां नियमकर्ता ने उक्त नियमों के अधीन कार्यविधि अपनायी है, केवल मद (ख) में उल्लिखित दरों पर ही प्रति अदायगी की दर लागू होगी ।

2. उप-क्रम सं० 3843 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
3843	इस्पात के ड्रम जब कि वे शामर से भरे होने हों ।	700 रुपये प्रति मि० टन

1. उप-क्रम संख्या 3848 तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
3826	नरम इस्पात की पेपर पिनें तथा क्लिप	
	(क) लेपित तांबा	
	(1) प्रत्येक सीट में 100 पिनें लगी हुई बेची जाने वाली पिनें	
	(i) 20 मि० मी० आकार की	25 रुपये प्रति 100 गुर्स शीटें ।
	(ii) 22 मि० मी० लम्बी आकार की .	27 रुपये प्रति 100 गुर्स शीटें ।
	(iii) 26 मि० मी० लम्बी आकार की .	39 रुपये प्रति 100 गुर्स शीटें ।
	(2) भार की दर में बेची जाने वाली पिनें	25 रुपये प्रति क्विन्टल ।
	(3) क्लिपें	
	(i) 26 मि० मी० से 29 मि० मी० आकार वाली ।	7.50 रुपये प्रति लाख क्लिपें ।
	(ii) 30 मि० मी० से 35 मि० मी० आकार वाली ।	17 रुपये प्रति लाख क्लिपें ।
	(ख) तांबा लेपित से भिन्न	
	(1) प्रत्येक शीट में 100 पिनें लगा कर बेची जाने वाली पिनें	
	(i) 20 मि० मी० आकार की .	13 50 रुपये प्रति 100 गुर्स शीटें ।
	(ii) 22 मि० मी० आकार की .	14.50 रुपये प्रति 100 गुर्स शीटें ।
	(iii) 26 मि० मी० आकार की .	20.90 रुपये प्रति 100 गुर्स शीटें ।
	(2) भार की दर से बेची जाने वाली पिनें .	13.65 रुपये प्रति क्विन्टल ।
	(3) क्लिपें	
	(i) 30 मि० मी० से 35 मि० मी० आकार की ।	9.35 रुपये प्रति 1 लाख क्लिपें ।
	(ii) 26 मि० मी० से 29 मि० मी० तक आकार की ।	4.00 रुपये प्रति 1 लाख क्लिपें ।

4. उप-क्रम संख्या 3849 तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

उप-क्रम संख्या	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
3849	सैनोटरी तथा बाथरूम वाटर फिटिंग्स	
	(i) क्रोमियम विलेपित गन-मेटल से निर्मित	4 रुपये प्रति किलोग्राम।
	(ii) क्रोमियम विलेपित तांबे से निर्मित	2.85 रुपये प्रति किलोग्राम।

No. DRAWBACK/PN-6/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise-Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table annexed to the Public Notice No. F DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 with immediate effect :—

For Sub-serial No. 4002 and the entries relating thereto the following shall be substituted namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
4002	(A) Vertical and horizontal diesel engines upto 40 H.P. (Other than marine diesel engines).	1·5 % of the F.O.B. value of export.
	(b) Components, parts, spares and accessories of diesel engines.	4 6% of F.O.B. value of export

सं० प्रति-अदायगी/पी० एन०-6/72 —सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति-अदायगी/पी० एन० —1 दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

1. उप-क्रमांक संख्या 4002 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी अर्थात —

उप-क्रमांक संख्या	माल का विवरण	प्रति-अदायगी की दर
4002	(क) 40 अश्व-शक्ति तक के ऊर्ध्वाकारी एवं पड़ा डीजल इंजन (नौ-डीजल इंजिनों से भिन्न)।	निर्यात-माल के पोत-पर्यन्त खर्चे सहित मूल्य का 1.5 प्रतिशत।
	(ख) डीजल इंजिनों के निर्माणक हिस्से, फालतू पुर्जे तथा उपसाधन।	निर्यात-माल के पोत-पर्यन्त खर्चे सहित मूल्य का 4.6 प्रतिशत।

No. DRAWBACK/PN-7-72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 with immediate effect—

For Sub-serial No. 5902 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
5902	Zip Fasteners (Mettallic)	
	Size No. 3	10 paise per Metre
	Size No. 5	81 paise per Metre

B. N. RANGWANI,
Joint Director of Drawback

सं० प्रति-अदायगी/पी० एन०/7/72.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 की प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70–प्र० अ०) के नियम 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति-अदायगी पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणियों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

उप-क्रमांक संख्या 5902 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी अर्थात् :—

उप-क्रमांक संख्या	माल का विवरण	प्रति-अदायगी की दर
5902	जिप फास्नर्स (धातित्वक)	
	आकार सं० 3 . . .	10 पैसे प्रति मीटर
	आकार सं० 5 . . .	18 पैसे प्रति मीटर

बी० एन० रंगवानी,
संयुक्त निदेशक, प्रति-अदायगी ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972